न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 113/2016

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्ट :–**

1. श्रीमति कमली पुत्री सोहनलाल जी, धर्मपत्नी श्री गुमान जी, जाति बावरी, निवासी ग्राम बलाडा तहसील जैतारण जिला पाली।
2. श्रीमति बिच्छीदेवी पुत्री सोहनलाल जी, धर्मपत्नी श्री पारस जी, जाति बावरी, निवासी ग्राम बलाडा, तहसील जैतारण जिला पाली हाल ठिकाणा– बेरा खेजडिया लिलाम्बा, तहसील रायपुर जिला पाली।

1. पूजा पुत्री स्व. कानाराम जी, उम्र करीब 15 वर्ष, नाबालिग जरिये कुदरती वली दादा भीरम पुत्र हरलाल जी, जाति बावरी(चौकीदार) निवासी बलाडा तहसील जैतारण जिला पाली (नोटः– बिना स्वीकार किये केवल मात्र निर्णय व डिक्री में वर्णितानुसार दर्ज किया।)
2. बिदामी पत्नी मिसरू जी,
3. फेफली पत्नी भीरम जी,
   जातिगण– बावरी (चौकीदार) निवासीगण – बलाडा तहसील जैतारण जिला पाली(राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण (भूमिधारी)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री दौलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 29.11.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राज काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व वाद संख्या 54/2014 में पूजा बनाम बिदामी वगैरा में उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे है। लिहाजा रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस एकपक्षीय सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बलाडा तहसील जैतारण में वादीया के पिता काना व अन्य खातेदारान की सामलाती खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 703 रकबा 61.18 बीघा किस्म सेवज दोयम तथा खसरा नम्बर 575 रकबा 0.16 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है। जिस पर वादीया अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त करती है। वादीया की माती पांचुडी भी आज से 10 वर्ष पूर्व लितरिया में नाता कर रह रही है। इस प्रकार वादीया स्वर्गीय काना की एक मात्र वारीस है। स्वर्गीय काना की पत्नी ने खाता संख्या 595 खसरा नम्बर 703 रकबा 61.18 बीघा भूमि में अपने हिस्से को दिनांक 17.12.2013 को जरिये हकतर्कनामा के हक त्यागकर वादीया के पक्ष में हकतर्कनामा निष्पादित कर दिया। जिससे यह स्पष्ट है कि काना के हिस्से की सम्पूर्ण मालिक वादीया है तथा वादीया अपने हिस्से की भूमि में अपना नाम जमाबंदी में दर्ज करवाने की अधिकारी है। साथ ही प्रतिवादीगण को वादीया के हिस्से की भूमि में दखलदांजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में खातेदार घोषित करते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का आदेश प्रदान किया गया। वादग्रस्त आराजी अपीलांट एंव रेस्पोडेन्ट की सामलाती पैतृक आराजी है। क्योंकि अपीलांट मृतक सोहनलाल की हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रथम श्रेणी क उत्तराधिकारी है। अपीलांट मृतक सोहनलाल की विधिक वारिसान होने के नाते वादग्रस्त आराजी में अपने माफिक हिस्सेनुसार काबिज काश्त है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 54/2014 में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को सोहनलाल के वारिसान के जीवित होने की पूर्णतया जानकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में घोषणा, बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा विचाराधीन है। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रोपर पक्षकारो का संयोजन न कर केवल अपने हितबद्ध पक्षकारो का संयोजन जैर अपील आदेश पारित करवाया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 पूजा काना की पुत्री है। भीरम रेस्पोडेन्ट पूजा का कुदरती वली नहीं है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भीरम को पूजा के कुदरती वली की हैसियत से दावा लाने का अधिकार नहीं था। इसके अतिरिक्त स्व. सोहनलाल का पुत्र कानाराम टी. बी की बीमारी से ग्रेस्त था तथा कानाराम के उसकी पत्नी पांचुडी से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। काना टी.बी से ग्रसित होने के कारण उसके जीवनकाल में ही उसकी पत्नी पांचुडी उसे छोडकर जगदीश पुत्र शेषाराम बावरी, निवासी लितरियां के नाते चली गई। एवं उक्त पांचुडी का नाम जगदीश की पत्नी के रूप में ग्राम लितरिया की विधानसभा निर्वाचन नामावली सूची के क्रम संख्या 21 पर दर्ज है। जिसकी प्रति अपील के साथ प्रस्तुत की गई है। पांचुडी के नाते चले जाने के पश्चात काना निःसंतान फौत हुआ। वर्ष 2009 में नाराणी बेवा सोहनलाल का भी स्वर्गवास हो गया। किन्तु सोहनलाल के कायम मुकामात अपीलांटगण को विचाराधीन वाद में पक्षकार बनाये जैर अपील आदेश पारित करवाया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 53, 88, 92ए आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत आता है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार सहायक कलक्टर को है

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न की उपखण्ड अधिकारी को, जैर अपील आदेश बिना अधिकारिता होने से Null and Void है इस सम्बन्ध में आर.आर.डी. 1999 पेज संख्या 7 प्रस्तुत किया गया। अपीलांटगण मृतक सोहनलाल की प्रथम वारिसान है तथा अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 703 रकबा 61.18 बीघा में 1/6 तथा खसरा नम्बर 575 रकबा 0.16 बिस्वा में 1/3 हिस्सा खातेदारी है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय में बिना पक्षकार बनाये सुनवाई, जवाब, साक्ष्य, सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जो कि विधि विरूद्ध है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त किया जाकर पत्रावली पुनः रिमांड की जावे।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 703 रकबा 61.18 बीघा किस्म सेवज दोयम तथा खसरा नम्बर 575 रकबा 0.16 बीघा के सम्बन्ध में खातेदारी घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश द्वारा वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में काना का हक हिस्सा के खातेदारी अधिकार प्रदान करने के आदेश दिये गये। हस्तगत प्रकरण में कानूनी बिन्दु यह उद्भूत होता है कि क्या उपखण्ड अधिकारी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 92ए के तहत प्रस्तुत वाद की सुनवाई का अधिकार है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आर. आर. डी. 1999 पेज संख्या 7 में यह अभिनिर्धारित किया कि "Suit for declaration and permanent injunction in relation to agrl. land before Asstt. Collector, as per Sch. III, Item 5- Held, S.D.O. was not competent to hear such suit- order -passed by S.D.O. in such suit was without competence and without jurisdiction." इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की अनुसूची तृतीय के अनुसार भी उपरोक्त सन्दर्भित धाराओं में प्रस्तुत वाद को सुनवाई का अधिकार सहायक कलक्टर को प्रदत्त है। इसके अतिरिक्त अपीलांट मृतक सोहनलाल की प्रथम वारिसान है, किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये सुनवाई एवं साक्ष्य, सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किए बिना ही जैर अपील आदेश पारित करवाया है, जो समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा राजस्व वाद संख्या 54/2014 उनवानी पूजा बनाम बिदामी वगैर में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2015 अपास्त किया जाकर इस निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान् को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली